न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 45/2025

अपीलांट – *बनाम* रेस्पोडेंट्स –

1. विस्मला पुत्री फुसों उर्फ फूसेखां
2. रफीक पुत्र हनीफ
3. हबीब सायर पुत्र हनीफ जाति तेली मुसलमान निवासी आदर्श चुली तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

1. उपतहसीलदार विशाला
2. तहसीलदार बाड़मेर
3. अब्दुल हकीम पुत्र गुलाब
4. जाकीर हुसैन पुत्र गुलाब
5. मुख्तयार अहमद पुत्र गुलाब
6. बरकत पुत्र रहमतउल्लाह
7. जमाल पुत्र रहमतउल्लाह
8. जनी पत्नि रहमतउल्लाह
9. सदीक पुत्र गफुर जाति तेली मुसलमान निवासी आदर्श चुली तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 328 दिनांक 21.07.2025 जो उपतहसीलदार बिशाला द्वारा पारित किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

उपस्थिति :–

1. श्री उगराराम सहारण, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री पिताम्बरदास परमार, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 5 की ओर से उपस्थित।
3. श्री शैतानसिंह राठोड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 3, 4 एवं 6 से 9 की ओर से उपस्थित।
4. अवशेष रेस्पों बावजूद सूचना अनुपस्थित।
5. रेस्पों संख्या 01 एवं 02 प्रर्फोमा पक्षकार।

जिला कलक्टर, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.03.07 12:17:19 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक : 11.02.2026

1. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम आदर्श चुली पटवार मण्डल चुली तहसील बाड़मेर के नामान्तरकरण सं. 328 पर उपतहसीलदार विशाला द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 21.07.2025 के विरूद्ध दिनांक 20.08.2025 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा आदर्श चुली के खसरा संख्या 116 रकबा 0–0890 हैक्टेयर, खसरा नंबर 117 रकबा 23–2613 हैक्टेयर भूमि अपीलांट एवं रेस्पों संख्या 3 से 9 के नाम खातेदारी में दर्ज थी। वादग्रस्त भूमि के संबंध में एक राजस्व वाद संख्या 447 / 2003 अनवान सदीक वगैरा बनाम अब्दुल हकीम वगैरा पेश किया गया था जिस वाद का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2003 को पारित किया गया था। इसके पश्चात उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2003 के अनुसार 22 वर्ष तक किसी प्रकार का नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया गया तथा वर्तमान हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 17.07.2025 को उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2003 के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 328 खोला गया तथा दिनांक 21.07.2025 को उतरदाता संख्या 01 द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार की सूचना एवं समुचित सुनवाई अवसर दिये बिना ही नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया है। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश दिनांक 25.07. 2025 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

3. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

4. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि मौजा आदर्श चुली के खसरा संख्या 116 रकबा 0–0890 हैक्टेयर, खसरा नंबर 117 रकबा 23–2613 हैक्टेयर भूमि अपीलांट एवं रेस्पों संख्या 3 से 9 के नाम खातेदारी में दर्ज थी। वादग्रस्त भूमि के संबंध में एक राजस्व वाद संख्या 447 / 2003 अनवान सदीक वगैरा बनाम अब्दुल हकीम वगैरा पेश किया गया था

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.03.07 12:17:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिस वाद का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2003 को पारित किया गया था। इसके पश्चात उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2003 के अनुसार 22 वर्ष तक किसी प्रकार का नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया गया तथा वर्तमान हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 17.07.2025 को उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2003 के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 328 खोला गया तथा आर आई से जांच नहीं करवाकर दिनांक 21.07.2025 को उतरदाता संख्या 01 द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार की सूचना एवं समुचित सुनवाई अवसर दिये बिना ही नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया है, जो निरस्त योग्य हैं।

5. अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि किसी भी न्यायालय के निर्णय डिक्री के अनुसार राजस्व रेकर्ड में 12 वर्ष तक किसी प्रकार की नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जाता है तो उसके बाद विधि अनुसार उक्त निर्णय एवं डिक्री स्वयमेव ही निरस्त समझी जाती है तथा 12 वर्ष के बाद उक्त निर्णय एवं डिक्री के अनुसार कोई नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है तथा हस्तगत प्रकरण में राजस्व वाद संख्या 447/2003 में दिनांक 28.10.2003 को पारित निर्णय एवं डिक्री के करीब 22 वर्ष बाद आलौच्य नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जिस कारण उक्त नामान्तरकरण प्रारम्भ से शून्य एवं निष्प्रभावी होने अपास्त किये जाने योग्य है।

6. रेस्पोडेंट सं. 5 के अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया कि न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर में राजस्व वाद संख्या 447/2003 अनवान सदीक वगैरा बनाम अब्दुल हकीम वगैरा मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2003 की अनुपालना में नामान्तरकरण भरा गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होने से प्रस्तुत अपील खारिज योग्य हैं। अधिवक्ता रेस्पो. का कथन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सीपीसी जैसे कठोर प्रावधानो को ग्रामीण परिवेश के अनपढ़ व्यक्तियों [illegible] जा सकते। इसके साथ ही रेस्पो द्वारा न्यायालय सहायक [illegible] द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में नामान्तरक[illegible] प्रकार सम्पूर्ण प्रक्रिया विधिसम्मत की गई है इसलिए अपीलांट की यह सारह[illegible] होने से खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.03.07 12:17:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर, बाड़मेर

7. रेस्पों संख्या 3, 4 एवं 6 से 9 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट व उतरदाता संख्या 3 से 9 के संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है। जिस भूमि का बंटवाडा करवाने हेतु राजस्व वाद सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर में राजस्व वाद संख्या 447/2003 अनवान सदीक बनाम अब्दुल हकीम वगैरा पेश किया गया था जो वाद पक्षकारान की सहमति व मौजिज लोगों के रूबरू राजीनामा होने के कारण वाद की डिक्री आदेश पारित किया गया था। राजीनामा/ईकरारनामा के अनुसार ही वाद को निर्णीत किया गया था जिस ईकरारनामा के अनुसार ही वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 1/2 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया गया था जो सही घोषित किया गया था। वर्तमान में उतरदाता द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर की रात्रि चौपाल के दौरान दिनांक 22.05.2025 को प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो प्रार्थना–पत्र तहसीलदार बाड़मेर को प्रेषित कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर तहसीलदार के आदेश पर हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण संख्या 328 दिनांक 21.07.2025 की कार्यवाही कर नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया परन्तु उक्त नामान्तरकरण में हिस्से सही दर्ज नहीं होने के कारण पुनः शुद्धि पत्र संख्या 10 दिनांक 25.07.2025 को स्वीकृत किया गया जिसके अनुसार पक्षकारान के हिस्से सही दर्ज किये गये। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन व बेबुनियाद तथा मयाद बाहर होने सव्यय खारिज किये जाने का आदेश फरमावे।

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

8. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स के द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा आदर्श चुली के खसरा संख्या 116 रकबा 0–0890 हैक्टेयर, खसरा नंबर 117 रकबा 23–2613 हैक्टेयर भूमि अपीलांट एवं रेस्पों संख्या 3 से 11 के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त भूमि के संबंध में एक राजस्व वाद संख्या 447/2003 अनवान सदीक वगैरा बनाम अब्दुल हकीम वगैरा पेश किया गया था जिस वाद का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2003 को पारित किया गया था। इसके पश्चात उक्त निर्णय एवं डिक्री की दिनांक 28.10.2003 के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.03.07 12:17:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, बाड़मेर

22 वर्ष तक किसी प्रकार का नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया गया तथा वर्तमान हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 17.07.2025 को उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2003 के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 328 खोला गया तथा दिनांक 21.07.2025 को उतरदाता संख्या 01 द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार की सूचना एवं समुचित सुनवाई अवसर दिये बिना ही नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया है। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश दिनांक 25.07.2025 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि किसी भी न्यायालय के निर्णय डिक्री के अनुसार राजस्व रेकर्ड में 12 वर्ष तक किसी प्रकार की नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जाता है तो उसके बाद विधि अनुसार उक्त निर्णय एवं डिक्री स्वयमेव ही निरस्त समझी जाती है तथा 12 वर्ष के बाद उक्त निर्णय एवं डिक्री के अनुसार कोई नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है तथा हस्तगत प्रकरण में राजस्व वाद संख्या 447 / 2003 में दिनांक 28.10.2003 को पारित निर्णय एवं डिक्री के करीब 22 वर्ष बाद आलौच्य नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जिस कारण उक्त नामान्तरकरण प्रारम्भ से शून्य एवं निष्प्रभावी होने अपास्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता रेस्पों का कथन है कि न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर में राजस्व वाद संख्या 447 / 2003 अनवान सदीक वगैरा बनाम अब्दुल हकीम वगैरा मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2003 की अनुपालना में नामान्तरकरण भरा गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होने से प्रस्तुत अपील खारिज योग्य हैं। रेस्पों संख्या 3, 4 एवं 6 से 9 का कथन है कि जिस भूमि का बंटवाडा करवाने हेतु राजस्व वाद सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर में राजस्व वाद संख्या 447 / 2003 अनवान सदीक बनाम अब्दुल हकीम वगैरा पेश किया गया था जो वाद पक्षकारान की सहमति व मौजिज लोगों के रूबरू राजीनामा होने के कारण वाद की डिक्री आदेश पारित किया गया था। वर्तमान में उतरदाता द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर की रात्रि चौपाल के दौरान दिनांक 22.05.2025 को प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो श्रीमान तहसीलदार बाड़मेर को प्रेषित कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर तहसीलदार के आदेश पर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.03.07 12:17:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, बाड़मेर

हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण संख्या 328 दिनांक 21.07.2025 की कार्यवाही कर नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया परन्तु उक्त नामान्तरकरण में हिस्से सही दर्ज नहीं होने के कारण पुनः शुद्धि पत्र संख्या 10 दिनांक 25.07.2025 को स्वीकृत किया गया जिसके अनुसार पक्षकारान के हिस्से सही दर्ज किये गये। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन व बेबुनियाद तथा मयाद बाहर होने सव्यय खारिज किये जाने का आदेश फरमावे। हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स के द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि हस्तगत प्रकरण में राजस्व वाद संख्या 447/2003 में दिनांक 28.10.2003 को पारित निर्णय एवं डिक्री के करीब 22 वर्ष बाद आलौच्य नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जबकि उक्त निर्णय एवं डिक्री के क्रियान्वयन की मयाद समाप्त हो चुकी थी। ऐसे में आलौच्य डिक्री की पालना में जो अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया है वह विधि अनुसार नहीं होने से बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार विशाला द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 328 दिनांक 21.07.2025 को अपास्त किया जाता हैं।

10. निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.03.07 12:17:19 IST
Reason: SelfAttested